



CSIR-CENTRAL SCIENTIFIC INSTRUMENTS ORGANISATION

(Council of Scientific & Industrial Research)

Sector-30-C, Chandigarh 160030

AUCTION NOTICE FOR FRUIT CROPS

No. 01/2019 (GS)

Auction of Fruit Crops [Mango grafted 753 trees, Mango seedlings (Desi) 106, Jamun 63 trees, Spota (Chiku) 41 trees and Litchi 01 tree etc.] will be held on **29.05.2019** at **03.00 PM (Wednesday)** in the **CSIR-CSIO Auditorium**, Sector-30-C, Chandigarh for a period upto **31.08.2023** starting from the date of issue of award letter. A sum of **Rs.50,000/-** in the form of Demand Draft in favour of Director, CSIR-CSIO, Sector-30, Chandigarh as EMD will be deposited by each bidder on or before **29.05.2019 upto 2.00 PM** to become eligible for participation in auction which shall be adjusted against final bid. All the interested bidders are allowed to visit CSIR-CSIO fruit yard on any working day i.e. Monday to Friday from **10.00 AM to 03.00 PM** before participation in the Auction.

Administrative Officer

अनेकस्चर-ए Annexure-A

- Page 1/2 -

सीएसआइओ/8(5)/2019-जीएस

दिनांक:- 20.05.2019

1.	अनुबंध अवधि अवार्ड-पत्र की तारीख से लेकर दिनांक 31.08.2023 तक होगी ।
2.	बोली हेतु बयाना राशि रूपये 50,000/- निर्धारित की गई है ।
3.	सिक्वोरटी राशि रूपये 1,00,000/-) (रुपए एक लाख मात्र) निर्धारित की गई है ।
4.	फलों के वृक्षों/पोधों को जल का प्रबंध उपलब्ध करवाने हेतु ठेकेदार द्वारा इंचार्ज, सिविल से अनुरोध किया जाएगा उपरोक्त के आलावा निम्नलिखित शर्तें होंगी :-
5.	फलों की फसल के मौसम के दौरान ठेकेदार द्वारा अस्थाई तौर पर टेंट/तम्बू लगाया जाएगा । ठेकेदार द्वारा पूर्णतयः अस्थाई तौर पर यू. टी. इलेक्ट्रिसिटी विभाग से विद्युत कनेक्शन इस संस्थान के इलेक्ट्रिकल इंजीनीयरिंग सेक्शन के मार्गदर्शन से लिया जाएगा । इस हेतु ठेकेदार द्वारा प्रमुख, इलेक्ट्रिकल इंजीनीयरिंग को अनुरोध किया जाएगा । Contractor will take temporary connection of Electricity from UT electricity Department at his own cost under the guidance of Electrical Engg Section of CSIR-CSIO. Meter and safety Devices may be installed to take the connection from UT Electricity Department by the contractor himself.
6.	ठेकेदार को कंटेक्ट की सारी राशि चार किस्तों में इस संगठन को अदा करनी होगी । अवार्ड-पत्र के जारी होने के 10 दिनों के भीतर पहली किस्त जमा करनी होगी और यदि ठेकेदार प्रथम किस्त जमा करने में विफल रहता है तो बयाना राशि/ ईएमडी जब्त हो जाएगी । The contractor will deposit the entire amount in four installments. First installment will be deposited within 10 days of issue of award letter. If contractor fails to deposit 1st Installment , EMD shall stand forfeited.
7.	प्रत्येक वार्षिक किस्त अगले पट्टा वर्ष की शुरुआत से पहले देय होगी । सफल बिडर को वार्षिक किस्त का भुगतान निदेशक, सीएसआइओ-सीएसआइओ के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से किया जाएगा । Each yearly installment shall be payable before start of next lease year. Successful bidder will pay annual installment in favour of Director, CSIR-CSIO through DD/Cheque/RTGS.
8.	रूपये 50,000/- की बयाना राशि/ईएमडी जो निश्चित की गई है, बोली में भाग लेने के लिए प्रत्येक बोलीदाता से नकदी में प्राप्त की जायेगी । EMD of Rs.50,000/- is fixed which will be received in the form of Demand Draft/Cheque from each bidder to participate in the bid.
9.	अनुबंध की स्वीकृति के समय ठेकेदार द्वारा रूपये. 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) सिक्वोरटी डिपोजिट के रूप में इस कार्यालय में जमा करना होंगे । The Security Deposit of Rs.1,00,000/- (Rupees One Lakh only) will be deposited by the contractor at the time of acceptance of contract.
10.	ठेकेदार द्वारा किसी भी तरीके से इस संगठन के फलों के पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना होगा । Contractor will not damage the fruit trees in any manner.
11.	ठेकेदार द्वारा इस संगठन के बाग के सभी गिरे पेड़ों और शाखाओं को प्रभारी, बागवानी को सौंपना होगा । Contractor will hand over all the fallen trees and branches to Incharge, Horticulture of this Organisation.
12.	ठेकेदार को प्रति वर्ष दो बार बगीचे की जुताई करनी होगी जिससे पेड़ों की बेहतर वृद्धि हो सके तथा ऐसा न करने पर उस पर इस संगठन द्वारा निर्धारित जुर्माना लगाया जा सकता है । जिसे सक्षम प्राधिकारी, सीएसआइओ-सीएसआइओ के अनुमोदनाप्राप्त ठेकेदार की सिक्वोरटी से बसूल किया जाएगा । उपरोक्त के अलावा, यदि स्वच्छता (साफ-सफाई) नहीं बनाई रखी जाती है, तो बाहरी साधनों के माध्यम से इस संस्थान द्वारा (साफ-सफाई) करवाई जाएगी तथा ठेकेदार से इस राशि के अतिरिक्त रूपये 20,000 / - का जुर्माना भी उसके द्वारा जमा कारवाई गई सिक्वोरटी राशि से बसूल किया जाएगा । ठेकेदार द्वारा बगीचे के पत्ते, सड़े फल, आम पत्थर, जंगल विकास के निपटान हेतु इस संगठन के प्रभारी, बागवानी की संतुष्टि के अनुसार साफ-सफाई रखनी होगी तथा ठेकेदार इस हेतु जिम्मेवार होगा । Contractor will be responsible for the general cleanliness of the site, which means the removal and disposal of fallen leaves, rotten fruits, mango stones, jungle growth etc., to the satisfaction of Incharge, Horticulture of this Organisation. In addition to above, if cleanliness is not maintained, the same will be got executed by the external means and equivalent amount plus penalty of Rs.20,000/- will be got deducted from the Security of the Contractor.

मं
20.5.19


अनुभाग अधिकारी(सा.)
Section Officer (G)

13.	<p>ठेकेदार सिक्क्योरिटी गेट नंबर 2 के पास आम के बगीचे में साफ-सुथरा तम्बू या अस्थायी आश्रय रख सकता है, जिसे ठेकेदार द्वारा साफ-सुथरा रखा जाएगा तथा अनुमेय (permissible) कीटनाशक के साथ छिड़काव जाएगा।</p> <p>Contractor may put up a neat tent or temporary shelter in the mango garden near Security Gate No. 2, which shall be kept tidy and sprinkled with the permissible pesticides.</p>								
14.	<p>ठेकेदार द्वारा या उसके वर्कर्स द्वारा किये गये सीएसआईआर-सीएसआइओ की संपत्ति को किसी भी नुकसान या क्षति के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा और इस हेतु उसे निदेशक, सीएसआईआर-सीएसआइओ को क्षतिपूर्ति करनी होगी।</p> <p>Contractor will be responsible and compensate the Director, CSIR-CSIO, for any loss or damage done to any of CSIR-CSIO property by him or his men/workers.</p>								
15.	<p>कांटेक्टर पुरस्कार पत्र के जारी होने की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर उचित मूल्य के गैर न्यायिक स्टॉप पेपर पर एग्जीमैट (समझौता) करना होगा।</p> <p>Contractor will have to execute an agreement on non-judicial stamp paper of appropriate value within a period of 15 days from the date of issue of award letter.</p>								
16.	<p>ठेकेदार को अनुबंध के कार्यकाल की समाप्ति के बाद परिसर खाली करना होगा।</p> <p>Contractor will have to vacate the premises after expiry of tenure of contract.</p>								
17.	<p>यदि उपरोक्त निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन किया गया, तो पूरी बोली की रशि जब्त कर ली जायेगी तथा संगठन द्वारा किसी भी मुआवजे के भुगतान हेतु दायित्व नहीं लिया जायेगा और ठेकेदार को संगठन के फलों को तोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।</p> <p>If any of the above terms & conditions is violated, the entire bid money will stand forfeited with no liability to pay any compensation whatsoever and contractor will not be allowed to pluck any fruit.</p>								
18.	<p>पट्टेदार को रखरखाव की आईटमों हेतु सवयं व्यवस्था करनी होगी जैसे:-</p> <p>The lessee will have to make his own arrangement for all the maintenance items of the trees such as :-</p> <table border="1"> <tr> <td>(i)</td> <td>बगीचे की देख-भाल Watch and Ward of the garden</td> </tr> <tr> <td>(ii)</td> <td>पौधों को पानी देना आदि। Watering and Hoeing of plants.</td> </tr> <tr> <td>(iii)</td> <td>पौधों को खाद / उर्वरक जब भी जरूरत हो, देना। To apply manure/fertilizers as and when required etc.</td> </tr> <tr> <td>(iv)</td> <td>कीटनाशकों /fungicides आदि का छिड़काव Spraying of insecticides/fungicides etc.</td> </tr> </table>	(i)	बगीचे की देख-भाल Watch and Ward of the garden	(ii)	पौधों को पानी देना आदि। Watering and Hoeing of plants.	(iii)	पौधों को खाद / उर्वरक जब भी जरूरत हो, देना। To apply manure/fertilizers as and when required etc.	(iv)	कीटनाशकों /fungicides आदि का छिड़काव Spraying of insecticides/fungicides etc.
(i)	बगीचे की देख-भाल Watch and Ward of the garden								
(ii)	पौधों को पानी देना आदि। Watering and Hoeing of plants.								
(iii)	पौधों को खाद / उर्वरक जब भी जरूरत हो, देना। To apply manure/fertilizers as and when required etc.								
(iv)	कीटनाशकों /fungicides आदि का छिड़काव Spraying of insecticides/fungicides etc.								
19.	<p>सीएसआईआर-सीएसआइओ, चंडीगढ़ वर्जित क्षेत्र है अतः ठेकेदार द्वारा सवयं तथा अपने वर्कर्स की सूची नाम, पते तथा फोटो सहित सुरक्षा अधिकारी, सीएसआईआर-सीएसआइओ को देने होंगे।</p> <p>CSIR-CSIO, Chandigarh is a prohibited place, hence contractor will have to submit list containing names, address and photographs of himself and his workers to Security Officer.</p>								
20.	<p>निदेशक, सीएसआईआर - सीएसआइओ द्वारा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।</p> <p>The Director, CSIR-CSIO reserves the right to terminate the contract at any time without assigning any reasons whatsoever.</p>								
21.	<p>ठेकेदार को अवार्ड के समय निबंधन एवं शर्तों को स्वीकार करने की निसानी के रूप में निबंधन एवं शर्तों की एक हस्ताक्षरित प्रति इस संस्थान में प्रस्तुत करनी होगी।</p> <p>Contractor will have to submit a signed copy of Terms & conditions as a token of having accepted the Terms and conditions at the time of award.</p>								

अनुभाग अधिकारी (सा.)
Section Officer (G)

20.5.19.